न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 02/2018 तारीख रजू:— 18.07.2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

दयाराम रोत्रवाल पुत्र श्री मनखुशी जाति जाट निवासी सौमलारात्रा तहसील हिण्डौन जिला करौली———————————————————— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. सरपंच, ग्राम पंचायत सौमलारात्रा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली ———————————————————— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण सं0 215 दिं0 01.06.1987 सरपंच ग्राम पंचायत सौमलारात्रा

उपस्थित:— श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :— 19.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण सं0 215 दिनांक 01.06.1987 ग्राम पंचायत सौमलारात्रा पंचायत समिति हिण्डौन खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसिल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा दिनांक 01.01.1987 को भरा गया है उस समय अपीलान्ट की उम्र 5 साल की थी तथा अपीलान्ट के बचपन में रूपराम कहते थे, लेकिन अपीलान्ट को विधालय में प्रवेश दिलाते समय अपीलान्ट का नाम दयाराम रोत्रवाल लिखा गया था तथा अपीलान्ट की जन्म तिथि दिनांक 25.06.1982 है।

अपील के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट के पिता मनखुशी अपीलान्ट के बचपन में ही फौत हो गये थे, अपीलान्ट के पिता मनखुशी का सजरा खानदान में मनखुशी (फौत) मनखुशी के ... किशोर, मुकट, दिनेश, दयाराम हैं तथा उसकी बेवा भौती है।

अपील के मद नं04 में ... किया है कि नामान्तकरण राजस्व अभियान कैम्प धंधावली तहसील हिण्डौन ... दिनांक 01.06.1987 को ... का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है और अपीलान्ट के बचपन में बोलता नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

रूपराम नामान्तकरण व जमाबन्दी में गलत अंकित करवा दिया गया है इस कारण नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट का नाम विद्यालय रिकार्ड में दयारनाम रोत्रवाल पुत्र श्री मनखुशी दर्ज है। अपीलान्ट की टी.सी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौमला जिला करौली द्वारा जारी की गयी है। जिस विधालय से अपीलान्ट ने कक्षा 6,7,8 पास की है, जिसमें अपीलान्ट का नाम दयाराम रोत्रवाल लिखा है तथा पिता का नाम मनखुशी लिखा गया है।

अपील के मद नं06 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट का परिवार राशन कार्ड संख्या 200000891320 ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलान्ट का नाम दयाराम रोत्रवाल लिखा हुआ है तथा अपीलान्ट के पिता का नाम मनखुशी लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट का आधार कार्ड संख्या 417042839392 जारी किया गया है, जिसमें अपीलान्ट का नाम दयाराम रोत्रवाल लिखा हुआ है तथा पिता का नाम मनखुशी लिखा हुआ है। इस कारण भी ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा नामान्तकरण गलत भरा गया है, जिसमें अपीलान्ट का सही नाम अंकित नहीं है। इस कारण नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं07 में दर्ज किया है कि इसी प्रकार अपीलान्ट का भामाशाह कार्ड में भी अपीलान्ट का नाम दयाराम रोत्रवाल लिखा हुआ है। इस कारण नामान्तकरण जेरे अपील अपास्त किये जाने योग्य है तथा पुनः नये सिरे से नामान्तकरण भरा जाना आवश्यक है।

अपील के मद नं08 में दर्ज किया है कि ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 11.06.2018 में अपीलान्ट का नाम का स्पष्टीकरण भली भॉति अंकित कर दिया गया है कि अपीलान्ट को बचपन में रूपराम कहते थे लेकिन सरकारी रिकार्ड में दयाराम है। इस कारण भी नामान्तकरण जेरे अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं09 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण नये सिरे से भरा जाना आवश्यक है, जिसमें अपीलान्ट के पिता मनखुशी के वारिसान पुत्रगण किशोर, मुकुट, दिनेश, दयाराम व बेवा भौती का नाम नामान्तकरण भरा जाना आवश्यक है।

अपील के मद नं010 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियां से यह भली भॉति स्पष्ट है कि नामान्तकरण गलत भरा गया है, जिसको पुनः नये सिरे से खोला जाकर मृतक मनखुशी के वारिसों के नाम सही नाम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।

अपील के [illegible] कि अपीलान्ट को सर्वप्रथम नामान्तकरण जेरे अपील की दिनांक 1[illegible]6.20[illegible] को हुई जब अपीलान्ट के भाई मुकट ने राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि नि[illegible]यी, जिसमें अपीलान्ट का नाम सहवन से रूपराम लिखा गया। इसके बाद अपीलान्ट ने नामान्तकरण की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

के लिए प्रार्थना पत्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट करौली में दिनांक 18.06.2018 को पेश किया, जिस पर अपीलान्ट को नकल दिनांक 20.06.2018 को प्राप्त हुई है। इसके बाद अपीलान्ट ने कानूनी सलाह मशवरा कर अपील जल्द से जल्द पेश की जा रही है। इस प्रकार अपील अन्दर अवधि पेश है।

अपील के मद नं012 में दर्ज किया है कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण जेरे अपील नामान्तकरण सं0 215 दिनांक 01.06.1987 ग्राम पंचायत सौमलारात्रा को अपास्त किया जाकर पुनः नये सिरे से मनखुशी के वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण सही खोला जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार इन्द्राज किये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ इसलिए रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, नकल नामान्तकरण सं0 215 फैंसल दिनांक 01.06.1987, नकल जमाबन्दी सं0 2036 से 39, ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा दिनांक 11.06.2018 को जारी प्रमाण पत्र, फोटो प्रति स्थानान्तरण प्रमाण पत्र कमांक 126 दिनांक 05.04.2016 जो प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधाल सौमला जिला करौली द्वारा जारी किया गया है की फोटो प्रति, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड सं0 1067671828322, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 417042839392, फोटो प्रति राशन कार्ड बारकोड संख्या 200000891320, दयाराम पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र, अर्जुनसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र, भौती बेबा मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र, मुकुट पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र, किशोर पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र पेश किये हैं।

वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि नामान्तकरण सं0 215 फैंसल दिनांक 01.06.1987 में अपीलान्ट का नाम दयाराम के स्थान पर रूपराम दर्ज कर दिया है। इसलिए नामान्तकरण सं0 215 फैंसल दिनांक 01.06.1987 अपास्त किया जाकर मनखुशी के वारिसान के नामान्तकरण पुनः भरने के आदेश फरमावें।

वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी सं0 2072– 75 के अनुसार खसरा नं0 189 रकबा 0.39 है0, ... रकबा 0.80 है0, 270 रकबा 0.12 है0, 273 रकबा 0.31 है0, 403 रकबा 0.15 है0, 418 रकबा 0.19 है0, 432/836

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.38 है0, 62 रकबा 0.16 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम सौमलारात्रा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशोर पुत्र मनखुशी हि01/5, दिनेश पुत्र मनखुशी हि01/5,भौती पत्नि मनखुशी हि01/5, मुकुट पुत्र मनखुशी हि01/5, रूपराम पुत्र मनखुशी हि01/5, जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 215 फैसल दिनांक 01.06.1987 के अनुसार मनखुशी पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण मनखुशी के स्थान पर उसके वारिसान किशोर मुकुट दिनेश रूपराम पि0 मनखुशी, भौती बेबा मनखुशी जाति जाट सा0देह के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.05.1987 को भरकर दिनांक 01.06.1987 को तस्दीक किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2036 से 39 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 166/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 367 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 512/5 रकबा 3 बीघा, 357 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 339 रकबा 12 बिस्वा, 223 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा ग्राम सौमलारात्रा की खातेदारी मनखुशी पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम पंचायत सौमलारात्रा द्वारा दिनांक 11.06.2018 को जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि रूपराम उर्फ दयाराम पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन जिला करौली का मूल निवासी है। प्रार्थी को दोनो नामों से जाना जाता है। बचपन में नाम रूपराम था लेकिन अब सरकारी रिकार्ड में दयाराम है। गांव सोमला में दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है इसलिए जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम को शुद्ध लिखा जावे।

फोटो प्रति स्थानान्तरण प्रमाण पत्र कमांक 126 दिनांक 05.04.2016 जो प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधाल सौमला जिला करौली द्वारा जारी किया गया है के अनुसार दयाराम रोत्रवाल पुत्र मनखुशी निवासी सौमला की जन्म दिनांक 24.06.1982 है तथा प्रवेश दिनांक 07.07.1994 व छोडने की दिनांक 06.06. 1998 है।

फोटो प्रति भामाशाह कार्ड सं0 1067671828822 में दयाराम रोत्रवाल पुत्र मनखुशी निवासी सौमला दर्ज है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 417042839392 में दयाराम रोत्रवाल पुत्र मनखुशी रोत्रवाल निवासी जाट बस्ती सौमलारात्रा दर्ज है।

फोटो प्रति राशन कार्ड बारकोड संख्या 200000891320 में दयाराम रोत्रवाल पुत्र मनखुशी निवा[illegible]

अपीलान्ट की ओर से पेश कि[illegible] पत्र दयाराम पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला [illegible] हिण्डौन, [illegible]सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सौमला तहसील हि[illegible] जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन,मुकुट पुत्र मनखुशी जाति जा[illegible]निवासी सौमला तहसील हिण्डौन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

किशोर पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमला तहसील हिण्डौन पेश किये हैं। जिनके अनुसार मनखुशी के चार लडके किशोर, दिनेश, मुकुट,दयाराम हैं तथा उसकी एक पत्नि भौती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतक मनखुशी पुत्र शिब्बू जाति जाट निवासी सौमलारात्रा के फौत होने पर उसके विरासत का नामान्तकरण सं0 215 फैंसल दिनांक 01.06.1987 को किशोर मुकुट दिनेश रूपराम पि0 मनखुशी, भौती बेबा मनखुशी जाति जाट सा0देह के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.05.1987 को भरकर दिनांक 01.06.1987 को तस्दीक किया गया है। जो टी.सी. के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण तस्दीक होने के बक्त अपीलान्ट की आयु लगभग 5 वर्ष की थी। नामान्तकरण तस्दीक करते बक्त अपीलान्ट का ग्राम सौमलारात्रा में बोलता नाम रूपराम होना प्रतीत होता है जबकि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दयाराम है एवं विधालय रिकार्ड टी.सी. के अनुसार भी अपीलान्ट का नाम दयाराम है। मनखुशी के अन्य वारिसान एवं दयाराम के खास भाई किशोर, मुकुट एवं उसकी मॉ भौती ने भी शपथ पत्र पेश किये हैं। जिसमें उन्होंने दयाराम व रूपराम एक ही व्यक्ति होना बताया है एवं दयाराम के पिता का नाम मनखुशी होना अंकित किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम रूपराम दर्ज है। जिसकी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अपीलान्ट को पूर्ण अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अपीलान्ट का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रूपराम उर्फ दयाराम पुत्र मनखुशी जाति जाट निवासी सौमलारात्रा इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजीयात खसरा नं0 189 रकबा 0.39 है0, 191 रकबा 0.80 है0, 270 रकबा 0.12 है0, 273 रकबा 0.31 है0, 403 रकबा 0.13 है0, 418 रकबा 0.19 है0, 432/836 रकबा 0.38 है0, 62 रकबा 0.16 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम सौमलारात्रा तहसील सूरौठ में खातेदार रूपराम पुत्र मनखुशी हि01/5 के स्थान पर रूपराम उर्फ दयाराम रोत्रवाल पुत्र मनखुशी हि01/5 जाति जाट निवासी सौमलारात्रा समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 11:50:44 IST
Reason: SelfAttested

15.02.2021
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner